प्रतिवेदन

4

कार्य का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–5.500 कि0मी0)

उपरोक्त सडक मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश सं0 781/पी1–32(Phase-XIV)/यू0आर0आर0डी0ए0/17 दिनॉक 09/05/2017 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा –नालीवाला मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 11.425 किमी0 लम्बाई की स्वीकृति प्राप्त है तथा जिसका वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 11.425 किमी0 लम्बाई में भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया था उक्त प्रस्ताव को दिनांक 26/11/2020 को हुई आर0ई0सी0 में निरस्त कर दिया गया था एवं उक्त गांव को अन्य समरेंखण से जोडने के लिये निर्देशित किया गया था जिसके अनुपालन में सुवाखोली–सोरना मोटर मार्ग के नालीवाला गांव को जोडने के लिये नये समरेखंण का प्रस्ताव तैयार किया गया जिसमें मोटर मार्ग की लम्बाई 5.500 किमी0 आती है, नये समरेखंण की स्वीकृति के उपरान्त यह प्रस्ताव 5.500 किमी0 लम्बाई में तैयार किया गया है। इस मार्ग के बनने से ग्राम नालीवाला को यातायात का लाभ मिलेगा। तथा इसी मार्ग से ग्रामीणों की नगदी फसलों को मण्ड़ी तक पहुंचानें में सुविधा मिलेगी। प्रस्तावित भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है –

1 – आरक्षित वन भूमि	–	3.7100 है0
2 – वन पंचायत भूमि	–	0.0000 है0
3 – सिविल सोयम वन भूमि	–	0.0000 है0
4 – नाप भूमि मोटर मार्ग हेतु	–	0.1800 है0
5 – नाप भूमि मक डम्पिंग हेतु	–	0.1800 है0
6 – आरक्षित भूमि मक डम्पिंग हेतु	–	0.5100 है0
योग	–	**4.5800 है0**

भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 5500 मी0 लम्बाई में जिसमें नाप भूमि 9 मीटर चौड़ाई में तथा आरक्षित वन भूमि 7.00 मी0 चौडाई में ली गई है। इस मार्ग में कुल नाप भूमि 0.3600 है, सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, आरक्षित वन भूमि 4.2200 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0 कुल 4.2200 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड़ सरकार को वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने के लिए प्रस्ताव गठित किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक समरेखंण की सम्भावना नहीं है। औपचारिक कार्यवाही हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया, आख्या संलग्न है।

उक्त सडक मार्ग के निर्माण से लगभग 398 लोगों की जनसंख्या लाभान्वित होगी तथा उक्त ग्राम सडक मार्ग से जुड़ जायेंगे। पर्वतीय ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र से यातायात से जुड़ कर लाभान्वित हो जायेगें और नगदी फसलों को बाजार तक विपणन करने की सुगम सुविधा उपलब्ध होगी।

सर्वेक्षण के आधार पर उक्त मार्ग का समरेंखण इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि उक्त ग्राम सडक मार्ग से जुड जायेगा एंव मानक के अनुरूप न्यूनतम वन भूमि उपयोग में लाई जायेगी, जिससे कम वृक्ष एंव फसलें प्रभावित होगी। सडक मार्ग का 5300 मी0 लम्बाई में आरक्षित वन भूमि की 7.00 मी0 चौडाई में वृक्षों की गणना की गई। जिससे कम से कम वृक्षों का पातन होगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा –नालीवाला सडक मार्ग के निर्माण हेतु 4.2200 है0 आरक्षित वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि प्रस्ताव गठित कर विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 देहरादून	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 देहरादून